



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-05.08.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 26,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0091/2017 धारा 363, 366, 376, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अकेबुल शेख उर्फ सूरज पुत्र स्व0 हनीफ़ उर्फ मासेद निवासी ब्लॉक नं0 96/01 नया काशीराम आवास थाना शिवपुर जनपद वाराणसी स्थाई पता धर्मखापड़ा थाना महेशपुर जिला पाकुड़ झारखण्ड राज्य को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-05.08.2024 को माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अकेबुल शेख उर्फ सूरज उपरोक्त को अंतर्गत धारा 363 भा0द0वि0 में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि0 में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।